बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 382133 पटना, दिनांक 01-08-2018

ग्रा.वि.07(आं0)-01/2018

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषयः- **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के क्रियान्वयन हेतु अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेशः- स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसम्पति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है । योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष अन्तर्गत 100 दिन का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी मद में बिहार राज्य के अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित संदेय मजदूरी दर के अनुरूप व्यय राशि का शत-प्रतिशत तथा सामग्री मद में निर्धारित सीमा के अधीन 75 प्रतिशत राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु सामग्री/प्रशासनिक मद में पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-5 दिनांक 09-04-2018 द्वारा प्रथम भाग के प्रथम किस्त की राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-73 दिनांक 09-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के द्वितीय किस्त की राशि कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये विमुक्त किया गया है ।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद में मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड-9178 अंतर्गत कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये का आय व्ययक उपबंध प्राप्त है ।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है (प्रति संलग्न) ।

5. उक्त राशि की निकासी उपरोक्त कंडिका 3 में उपबंधित राशि कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में स्वीकृत राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़

चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये घटाने के उपरांत अवशेष राशि 131716.83 (तेरह अरब सतरह करोड़ सोलह लाख तैरासी हजार) रूपये में से की जायेगी ।

6. इस योजना का कार्यान्वयन पूरे राज्य में वर्ष 2018-19 में किया जाना है ।

7. उक्त राशि की निकासी, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी तथा निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना से की जायेगी ।

8. भारत सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा के कंडिका-3 के आलोक में केन्द्रांश की विमुक्त राशि की निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है ।

9. उक्त राशि State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 में विमुक्त किया जायेगा एवं बैंक खाते का संचालन बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

10. स्वीकृत राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड-9178 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

11. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना को ध्यान में रखते हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 में निर्धारित मापदंडों में निहित प्रावधान के अधीन निकासी होगी ।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि-07(आ)-01/2018 के टिप्पणी 19/टि0 पर दिनांक 23.07.2018 को प्राप्त है ।

अनु0 - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राजेश परिमल)

उप सचिव

ज्ञापांक 382133 पटना, दिनांक 01-08-2018

ग्रा.वि.07(आं0)-01/2018

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / वित्त नियंत्रक, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, बिहार पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10 (बजट शाखा)/ प्रभारी सांख्यिकी सहायक/ सी0एफ0एम0एस0 टीम एवं आई0टी0 मैनजेर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.7.18

उप सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक_____ पटना, दिनांक_____

ग्रा.वि.07(आं0)-01/2018

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषयः- **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के क्रियान्वयन हेतु अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेशः- स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसम्पति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है । योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष अन्तर्गत 100 दिन का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी मद में बिहार राज्य के अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित संदेय मजदूरी दर के अनुरूप व्यय राशि का शत-प्रतिशत तथा सामग्री मद में निर्धारित सीमा के अधीन 75 प्रतिशत राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु सामग्री/प्रशासनिक मद में पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-5 दिनांक 09-04-2018 द्वारा प्रथम भाग के प्रथम किस्त की राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-73 दिनांक 09-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के द्वितीय किस्त की राशि कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये विमुक्त किया गया है ।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद में मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड-9178 अंतर्गत कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये का आय व्ययक उपबंध प्राप्त है ।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No. 86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है (प्रति संलग्न) ।

5. उक्त राशि की निकासी उपरोक्त कंडिका 3 में उपबंधित राशि कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में स्वीकृत राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़

चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये घटाने के उपरांत अवशेष राशि 131716.83 (तेरह अरब सतरह करोड़ सोलह लाख तैरासी हजार) रूपये में से की जायेगी ।

6. इस योजना का कार्यान्वयन पूरे राज्य में वर्ष 2018-19 में किया जाना है ।

7. उक्त राशि की निकासी, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी तथा निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना से की जायेगी ।

8. भारत सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा के कंडिका-3 के आलोक में केन्द्रांश की विमुक्त राशि की निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है ।

9. उक्त राशि State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 में विमुक्त किया जायेगा एवं बैंक खाते का संचालन बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

10. स्वीकृत राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड-9178 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

11. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना को ध्यान में रखते हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 में निर्धारित मापदंडों में निहित प्रावधान के अधीन निकासी होगी ।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि-07(आ)-01/2018 के टिप्पणी 19/टि0 पर दिनांक 23.07.2018 को प्राप्त है ।

अनु0 - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राजेश परिमल)

उप सचिव

ज्ञापांक 382133 पटना, दिनांक 01-08-2018

ग्रा.वि.07(आं0)-01/2018

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / वित्त नियंत्रक, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, बिहार पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10 (बजट शाखा)/ प्रभारी सांख्यिकी सहायक/ सी0एफ0एम0एस0 टीम एवं आई0टी0 मैनजेर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.7.18

उप सचिव

(32)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 382133 पटना, दिनांक 01-08-2018

ग्रा.वि.07(आं0)-01/2018

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषयः- **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के क्रियान्वयन हेतु अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेशः- स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसम्पति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है । योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष अन्तर्गत 100 दिन का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी मद में बिहार राज्य के अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित संदेय मजदूरी दर के अनुरूप व्यय राशि का शत-प्रतिशत तथा सामग्री मद में निर्धारित सीमा के अधीन 75 प्रतिशत राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु सामग्री/प्रशासनिक मद में पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-5 दिनांक 09-04-2018 द्वारा प्रथम भाग के प्रथम किस्त की राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-73 दिनांक 09-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के द्वितीय किस्त की राशि कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये विमुक्त किया गया है ।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद में मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड-9178 अंतर्गत कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये का आय व्ययक उपबंध प्राप्त है ।

4. ~~ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है (प्रति संलग्न) ।~~

5. उक्त राशि की निकासी उपरोक्त कंडिका 3 में उपबंधित राशि कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में स्वीकृत राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़

(31)

चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये घटाने के उपरांत अवशेष राशि 131716.83 (तेरह अरब सतरह करोड़ सोलह लाख तैरासी हजार) रूपये में से की जायेगी ।

6. इस योजना का कार्यान्वयन पूरे राज्य में वर्ष 2018-19 में किया जाना है ।

7. उक्त राशि की निकासी, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी तथा निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना से की जायेगी ।

8. भारत सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा के कंडिका-3 के आलोक में केन्द्रांश की विमुक्त राशि की निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है ।

9. उक्त राशि State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 में विमुक्त किया जायेगा एवं बैंक खाते का संचालन बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

10. स्वीकृत राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड-9178 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

11. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना को ध्यान में रखते हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 में निर्धारित मापदंडों में निहित प्रावधान के अधीन निकासी होगी ।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि-07(आ)-01/2018 के टिप्पणी 19/टि0 पर दिनांक 23.07.2018 को प्राप्त है ।

अनु0 - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

28.7.18

(राजेश परिमल)

उप सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(3)

पत्रांक 382133 पटना, दिनांक 01-08-2018

ग्रा.वि.07(आं0)-01/2018

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषयः- **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के क्रियान्वयन हेतु अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेशः- स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसम्पति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है । योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष अन्तर्गत 100 दिन का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी मद में बिहार राज्य के अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित संदेय मजदूरी दर के अनुरूप व्यय राशि का शत-प्रतिशत तथा सामग्री मद में निर्धारित सीमा के अधीन 75 प्रतिशत राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु सामग्री/प्रशासनिक मद में पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-5 दिनांक 09-04-2018 द्वारा प्रथम भाग के प्रथम किस्त की राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-73 दिनांक 09-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के द्वितीय किस्त की राशि कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये विमुक्त किया गया है ।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद में मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड-9178 अंतर्गत कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये का आय व्ययक उपबंध प्राप्त है ।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के तृतीय किस्त की राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है (प्रति संलग्न) ।

5. उक्त राशि की निकासी उपरोक्त कंडिका 3 में उपबंधित राशि कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अंठानबे लाख) रूपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में स्वीकृत राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये एवं कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़

सहा0प्र0 प्र0 पदा0 संयुक्त सचिव सचिव

(29)

चौवन लाख छियालीस हजार) रूपये घटाने के उपरांत अवशेष राशि 131716.83 (तेरह अरब सतरह करोड़ सोलह लाख तैरासी हजार) रूपये में से की जायेगी ।

6. इस योजना का कार्यान्वयन पूरे राज्य में वर्ष 2018-19 में किया जाना है ।

7. उक्त राशि की निकासी, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी तथा निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना से की जायेगी ।

8. भारत सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl.No.-86 दिनांक 17-07-2018 द्वारा के कंडिका-3 के आलोक में केन्द्रांश की विमुक्त राशि की निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है ।

9. उक्त राशि State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 में विमुक्त किया जायेगा एवं बैंक खाते का संचालन बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

10. स्वीकृत राशि कुल 7896.67 लाख (अठहत्तर करोड़ छियानब्बे लाख सड़सठ हजार) रूपये मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड-9178 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

11. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना को ध्यान में रखते हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 में निर्धारित मापदंडों में निहित प्रावधान के अधीन निकासी होगी ।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि-07(आ)-01/2018 के टिप्पणी।१ /टि0 पर दिनांक 23.7.2018 को प्राप्त है ।

अनु0 - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

28.7.18

(राजेश परिमल)

उप सचिव

ज्ञापांक 382133 पटना, दिनांक 01-08-2018

ग्रा.वि.07(आं0)-01/2018

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / वित्त नियंत्रक, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, बिहार पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10 (बजट शाखा)/ प्रभारी सांख्यिकी सहायक/ सी0एफ0एम0एस0 टीम एवं आई0टी0 मैनजेर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.7.18

उप सचिव

सहायक प्र0 पदा0 संयुक्त सचिव सचिव

Prem-आवंटन-75

RK-2018

ORIGINAL FOR PAYMENT

(28)

F. No. G-31011/3/2018-MGNREGA-V Sl. No.86
Government of India
Ministry of Rural Development
(Department of Rural Development)

अजय कुमार सुम्बली AJAY KUMAR SUMBLY
उप सचिव, Deputy Secretary
भारत सरकार Government of India
ग्रामीण वि... Rural Development
कृषि भवन, नई दिल्ली, Krishi Bhawan, New Delhi

Krishi Bhawan, New Delhi
Date: 17.07.2018

To

The Pay & Accounts Officer,
Government of India,
Ministry of Rural Development,
Krishi Bhawan, New Delhi.

Subject- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) – on account payment of 3rd instalment of 1st tranche of Central Assistance for financial year 2018-19 towards **material and admin** components to the State Government of Bihar.

Sir

I am directed to convey the sanction of the President of India to the payment of Grants-in-aid amounting to **Rs.78,96,67,000/-(Rupees Seventy Eight Crore Ninety Six Lakh Sixty Seven Thousand Only)** towards material and admin component. Component-wise bifurcation is Rs.74,22,86,980/-(Rupees seventy Four Crore Twenty Two Lakh Eighty Six Thousand Nine Hundred Eighty Only) towards material component and Rs.4,73,80,020/-(Rupees Four Crore Seventy Three Lakh Eighty Thousand Twenty Only) towards admin contingency to the State Government of Bihar as Central Assistance towards material & administrative component for implementation of MGNREGA for the financial year 2018-19.

2. The pending liabilities (Material & Admin liabilities) must be cleared keeping in view the period of pendency. The old pending liabilities should be cleared first. **The status of clearance of old pending liabilities will be reviewed by the Ministry from time to time.**

3. The State Government must transfer these funds along with the State share to the State Employment Guarantee Fund for programme implementation within 3 days positively from the date of receipt of these funds. In case of non transfer beyond this period, Central Government may be constrained to stop further releases. Besides, the State Government would be liable to pay interest @ 12% for the period of delay beyond the specified period. The State Government is requested to endorse the copy of the release order to the Central Government addressed as under:

Sh. Ajay Kumar Sumbly, Deputy Secretary (MGNREGA)
Ministry of Rural Development, Krishi Bhawan,
New Delhi-110001. Telefax No. 23070129.

4. Further the following conditions shall be fulfilled in utilisation of these funds:

a) Adherence to the time line indicated in the LB minutes of FY 2018-19 against various key activates.

b) In all Electronic Fund Management system (eFMS) 'implemented' areas, the funds shall be maintained at the State level; and there shall be no intermediary accounts. All payments in these areas shall move directly from the State fund to the destination accounts based on the pay order generated at the Block/Gram Panchayat level.

c) Where eFMS is not yet implemented, steps shall be taken to implement the same at the earliest.

d) The detailed voucher-based data shall be available in the NREGASoft for all the expenditure done.

e) The material component including wages of skilled and semi-skilled labour shall not exceed 40% at the district level.

f) This grant is towards plan expenditure and shall be utilized for approved items of works subject to the conditions laid down in the MGNREGA Guidelines. No deviation from the provisions of the Guidelines is permissible.

g) The expenditure of material component including wages of skilled and semi-skilled labour will be shared between central and State Government in the ratio of 75:25.

h) The Utilization Certificate should be submitted within 12 (twelve) months of the closure of financial year which shall include interest accrued. Interest accrued should be computed based on the details of ledger account maintained for the purpose.

5. **Funds being sanctioned for Administrative Contingency willnot be utilized for Material Component.**

6. No Utilization Certificate is pending against the Recipient Organization under the Scheme.

7. The accounts of the grantee institutions will be audited by the Comptroller and Auditor General of India and the Internal Audit of the Principal Accounts Office of the Ministry in terms of Rule 211 (1) of the General Financial Rules.

8. The expenditure is debitable to the following Head of Accounts under Demand No. 82 Department of Rural Development (2018-2019).

3601	Grants-in-aid to State Governments (Major Head)
06	Centrally Sponsored Schemes
101	Central Assistant/Share
28	Mahatma Gandhi National Rural Employment
28.01	Programme Component - MGNREGA
28.01.35	Grants for creation of Capital Assets.

9. Director MGNREGA, New Delhi (207172) will be the Drawing & Disbursing Officer for the purpose. The amount mentioned in Para–1 above will be transferred to the State Government of Bihar.

10. Further fund would be released on compliance of all conditionalities prescribed at the time of previous releases; submission of compliance on minutes of the Labour Budget meeting for FY 2018-19 at the earliest within the stipulated time.

11. This issues under the powers delegated to this Ministry and in consultation with the integrated Finance Division vide their **U.O. No.401/Fin/2018-19 dated 17.07.2018.**

Yours faithfully,

(A.K. Sumbly)
Deputy Secretary (MGNREGA)

अजय कुमार सुम्बली/AJAY KUMAR SUMBLY
उप सचिव/Deputy Secretary
भारत सरकार / Government of India
ग्रामीण विकास मंत्रालय/M/o Rural Development
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhavan, New Delhi

Copy to:

1. The Principal Secretary, Finance Department, Govt. of Bihar.
2. The Principal Secretary, Rural Development, Govt. of Bihar.
3. The Accountant General, Govt. of Bihar.
4. The Director, Rural Development, Govt. of Bihar.
5. The Director of Audit, E&S Ministries, IP Estate, AGCR Building, New Delhi.
6. The Resident Commissioner, Government of Bihar, New Delhi for taking necessary action under intimation to this Ministry.
7. The Section Officer (Fin.-I)

(A.K. Sumbly)
Deputy Secretary (MGNREGA)

अजय कुमार सुम्बली/AJAY KUMAR SUMBLY
उप सचिव/Deputy Secretary
भारत सरकार / Government of India
ग्रामीण विकास मंत्रालय/M/o Rural Development
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhavan, New Delhi